



183

न्यायालय श्रीमान अपर-अधुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/निगरानी - 1049- J/12

1st भाग के प्रमाण

दस्तावेज - 3/10/12

कोर्ट पर

12/4/12

18-4-12

1. दशरथ पिता श्री हजारीलाल
2. कैलाश पिता किशनलाल
3. रमेश पिता भैरूलाल
4. बद्रीलाल पिता भंवरलाल
5. हजारीलाल पिता रामलाल

समस्त जाति ब्राम्हण, समस्त निवासीगण-ग्राम
बोरखेड़ी कला, तहसील व जिला नीमच

-----प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. मौड़ सिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत
ग्राम कोटवार, ग्राम सुरजना तहसील व जिला
नीमच

-----विपक्षीगण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

सेवा में प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय, जिला नीमच के द्वारा प्रकरण क्रमांक 2 निगरानी 2010-11 दिनांक 27/03/2012 को पारित आदेश से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर यह निगरानी आवेदन निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि में निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

निगरानी के आधार

- 01 यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण ने धारा 129 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 31/ए-12/10-11 मौड़ सिंह पिता मनोहरसिंह निवासी-सरजना विरुद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 05/05/2011 से असंतुष्ट होकर कलेक्टर महोदय नीमच को निगरानी पत्र की जो

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1049 एक/12

[दशरथ/कामन]

जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
23-3-2018	<p>अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री बी.एल. मावर, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । तीन बार आवाज लगवाई गई, फिर भी आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः आवेदकगण की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
अध्यक्ष